GST HINDI UPDATE No 221 ON SUPPLY TO MERCHANT EXPORTER @ 0.1%

आज के UPDATE में हम NOTIFICATION NO 40/2017 CE (RATE) और 41/2017 CE (RATE) के बारे में चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत हम हमारा माल हम किसी भी MERCHANT EXPORTER को 0.1% GST की RATE से SUPPLY कर सकते हैं। परन्तु इस NOTIFICATION की महत्वपूर्ण शर्त यह है कि हमें हमारा माल सीधे ही PORT, ICD, AIRPORT, LAND CUSTOMS STATION या फिर REGISTERED WAREHOUSE पर ही DELIVER करना होगा। हम उसे MERCHANT EXPORTER की FACTORY , GODOWN या फिर उसके निर्देश पर किसी और जगह पर नहीं भेज सकते हैं। इस ही सम्बन्ध में कर्नाटक की एक ADVANCE RULING आयी है जिसका विवरण इस प्रकार है:-

इस केस में APPLICANT का नाम TIME TECHNOPLASE LIMITED जो कि एक MANUFACTURER है और HDPE DRUMS बनता है। उसके पास एक MERCHANT EXPORTER का PURCHASE ORDER आया जिसमे उसने उस से HDPE DRUMS को 0.1% GST पर खरीदने के लिए आर्डर दिया था। जिसमे यह निर्देश भी था कि APPLICANT को HDPE DRUMS को एक CHEMICAL MANUFACTURER को SUPPLY करना था। फिर वो CHEMICAL MANUFACTURER उस HDPE DRUMS में ETHYL ALCOHOL भरेगा। फिर उसको MERCHANT EXPORTER द्वारा EXPORT कर दिया जायेगा।

इसमें APPLICANT ने ADVANCE RULING से पूछा कि क्या हम पर NOTIFICATION 40/2017 CE (RATE) और 41/2017 CE (RATE) के तहत 0.1% GST देने के लिए APPLICABLE है जब कि वो PACKING के लिए अपने DRUMS को CHEMICAL MANUFACTURER के यहाँ भेज रहे है और फिर MERCHANT EXPORTER उसको EXPORT कर रहा है ?

इस सम्बन्ध में कर्नाटक ADVANCE RULING ने कहा कि NOTIFICATION 40/2017 CE (RATE) और 41/2017 CE (RATE) में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि SUPPLIER को माल कि सप्लाई सीधे PORT, ICD, AIRPORT, LAND CUSTOMS STATION या फिर REGISTERED WAREHOUSE पर ही कर सकते है। यदि अलग अलग SUPPLIERS से माल आ रहा है और फिर उसको AGGREGATE करके भी SUPPLY करना है तो वो भी REGISTERED WAREHOUSE पर ही कर सकते है। पर इस केस में DRUMS पहले CHEMICAL MANUFACTURER के पास गया जहा पर उसमें ETHYL ALCOHOL भरा जाएगा तथा फिर EXPORT किया जाएगा। इसलिए APPLICANT NOTIFICATION 40/2017 CE (RATE) और 41/2017 CE (RATE) के तहत 0.1% की CONCESSIONAL RATE का BENEFIT नहीं ले सकता है।

इस ADVANCE RULING से यह स्पष्ट हो जाता है की यदि हमें NOTIFICATION 40/2017 CE (RATE) और 41/2017 CE (RATE) के अंतर्गत SUPPLY करनी है तो हमें हमारा माल DIRECTLY PORT, ICD, AIRPORT, LAND CUSTOMS STATION या फिर REGISTERED WAREHOUSE पर ही SUPPLY करना होगा वरना DEPARTMENT इस SUPPLY को 0.1% की CONCESSIONAL RATE की SUPPLY नहीं मानेगा और DIFFERENTIAL GST की डिमांड करेगा।